

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

Bulletin Part- II

(General information relating to Legislative and other matters)

Tuesday, 07 June, 2016/Jyeshtha 17, 1938 (Saka)

No. 55

Election of Deputy Speaker

In pursuance of the Rule 9(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Hon'ble Speaker has been pleased to fix **Friday, the 10th of June, 2016** for holding the election to the office of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

In this connection, attention of Members is invited to sub-rules (2), (3) and (4) of Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi which are reproduced below:-

“(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another Member be chosen as the Deputy Speaker of the House, and the notice shall be seconded by a third Member and shall be accompanied by a statement by the Member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected:

Provided that a Member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A Member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless he states that he does not wish to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall confine himself, to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion.

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall without putting later motions declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Deputy Speaker of the House.”

**NOTICE OF MOTION FOR THE ELECTION OF THE DEPUTY SPEAKER
CAN BE GIVEN BEFORE NOON ON THE THURSDAY 09TH OF JUNE, 2016 IN
THE NOTICE OFFICE OF THE ASSEMBLY SECRETARIAT.**

For the convenience of Members, forms for giving notice of motion for election of Deputy Speaker are available in the Notice Office of the Assembly Secretariat.

**PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
SECRETARY**

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

मंगलवार, 07 जून, 2016/ज्येष्ठ 17, 1938 (शक)

संख्या-55

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-9(1) के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन करने के लिए दिनांक 10 जून, 2016 का दिन निश्चित किया है।

इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-9 के उप नियम-(2), (3) एवं (4) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:-

- (2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए, सचिव को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:
परन्तु कोई सदस्य अपना नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।
- (3) कार्य सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह जब तक यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता है।
- (4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत् अनुमोदित हो गये हो, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्तावों की सूचना वीरवार, 09 जून, 2016 को मध्याह्न से पहले विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में दी जा सकती है।

सदस्यों की सुविधा के लिए उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रस्तावों की सूचना देने के लिए निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में उपलब्ध हैं।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव